Polity

पंचायतों का कार्यकाल [Duration of Panchayat's]

प्रथम अधिवेशन की तिथी से पांच वर्ष निर्धारित किया गया है।
The term has been fixed as five years from the date of the first session.

Q- क्या पंचायत को भंग / विघटित (Dissolved) किया जा सकता है?
↳ yes हाँ

⇒ पंचायत → कार्य किया → 3 वर्ष - उसके बाद भंग हो गयी।
↳ कि नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? ⇒ 2 वर्ष
(शेष कार्यकाल)
Renaining Tenure

⇒ पंचायत - कार्य किया - 4 वर्ष 6 माह (4 year's 6 month's)
↳ भंग (Dissolved)
↳ इस समय नयी पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? ⇒ 5 वर्ष

क्योंकि 6 माह का समय नयी पंचायत के निर्वाचन के लिए ही चाहिए।

→ यदि किसी पंचायत को 6 माह से पहले या इससे कम पहले भंग किया जाता है तो नयी पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए होगा।

* सदस्यता के लिए अयोग्यतायें *

[Disqualification for Membership]

योग्यतायें (Qualification)	Disqualification (अयोग्यतायें)
[1] भारत का नागरिक	[1] भारत का नागरिक न हो।
[2] न्यूनतम आयु ⇒ 21 वर्ष	[2] न्यूनतम आयु पूरी न हो।
[3] राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य योग्यतायें हों।	[3] राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यतायें न हों।

पंचायतों / नगरपालिकाओं की शक्तियां

[1] सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनायें बनाना

[2] " " " " " " " लागू करना

[3] 11 वी अनुसूची में दिये गये 29 विषयों पर कार्य करना।

(1) → Socials Economic Development → Schemes → Prepare

[2] " " " " " → " → Execute

[3] → 11th Schedule ⇒ 29 Subjects / 12th Schedule - 18 Subjects

↳ Panchayat's / पंचायत ↳ Municipality / नगरपालिका

12 वीं अनुसूची में दिये गये 18 विषयों पर नगरपालिकाओं द्वारा कार्य किया जाता है।

राज्य वित्त आयोग (State finance Commission)

→ पंचायत ⇒ Art. 243 I

⇒ राज्य वित्त आयोग ⇒ गठन – प्रत्येक 5 वर्ष पर → राज्यपाल द्वारा
formation every 5 years by the Governor

→ 1 अध्यक्ष + अन्य सदस्य
Chairme + other members

नियुक्ति → (Appointment → by the Governor)

कार्यकाल → Tenure → 5 वर्ष

त्यागपत्र → Resignation → राज्यपाल

रिपोर्ट → राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

कार्य – ① राज्य की संचित निधि से कितना अनुदान (Grants) पंचायत/नगरपालिका को दिया जायेगा, इसका निर्धारण करना।

② पंचायतों/नगरपालिका की वित्तीय स्थिति (financial condition) में सुधार (Reforms) के लिए सिफारिश (Recommendation) करना।

Art. 243 K ⇒ राज्य निर्वाचन आयोग
State election Commission

→ यह एक संवैधानिक संस्था (Constitutional body) है।

→ इसमें एक निर्वाचन आयुक्त (election Commissioner) होते हैं।

- नियुक्ति → राज्यपाल
- कार्यकाल → 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- त्यागपत्र → राज्यपाल को
- हटाने की प्रक्रिया → जिस प्रकार H. Court के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य — ① निर्वाचन का संचालन
Function of State election Commission Conducting election →
① पंचायत
② नगरपालिका

② निष्पक्ष निर्वाचन करना।
Conducting fair election
③ मतदाता सूची तैयार करना
Prepared electoroll list
④ चुनाव रद्द करना
Cancelling election. etc.

नगरीय प्रशासन : नगरपालिकायें
[Municipal Government : Municipalities]

सर्वप्रथम 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गयी।

Firstly in 1687 a local body called municipal Corporation was established for the city of Madras.

1687/1688

नगरपालिका
Municipality

PM → पी० वी० नरसिंह राव ⇒ इनके 74 CA Bill 1992 LS में पेश → 22 Dec. 1992 - पारित
→ RS में पेश → 23 Dec. 1992 - पारित

नगरपालिका → 18 विषय पर कार्य ⇒ 12 वीं अनुसूची में।
→ Part (भाग) - IX A
→ Art. 243 P → 243ZG
→ 12th Schedule / अनुसूची को जोड़ गया
→ राज्य सूची का विषय।

→ President → Signature → 20 April 1993
→ Act / अधि० ⇒ लागू 1 June. 1993

नगरपालिकाओं का गठन → Art. 243 Q
Composition of municipality
↳ त्रि-स्तरीय (Three-tier) - नगर पंचायत → ऐसे गांव जो शहर में परिवर्तित (बना) town)
→ नगर पालिका परिषद → दोटे शहरों में Municipal Council
→ नगर निगम → बड़े शहरों में Municipal Corporation

⇒ Structure (संरचना)
↳ नगरपालिका के सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) द्वारा भरे जायेंगे (fullfill)

नगरपालिकाओं में आरक्षण → Art - 243 T

- SC
- ST
- जनसंख्या के आधार पर
- females / महिलाओं – 1/3 (33%)

निगरपालिकाओं की अवधि (Duration of Municipalities)

नगरपालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से पांच वर्ष तक होती है।

Like Panchayats, the tenure of municipalities is also five years from the first session

यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है, तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए इस प्रकार गठित नगरपालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य करती है।

If a municipality is dissolved prematurely. elections must be held for it within 6 months from the date of dissolution. The municipality thus constituted works for the remaining term.

यदि विघटित नगरपालिका का शेष कार्यकाल 6-माह से कम हो तो उसके लिए निर्वाचन (6 माह के भीतर) आवश्यक नहीं है।

If the remaining term of the dissolved municipality is less than 6 months then election is not necessary (within 6 months).

सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
[Disqualification for membership]

नगरपालिकाओं की शक्तियाँ एवं प्राधिकार
[Powers of Authority of Municipalities]
→ पंचायतों के समान

राज्य वित्त आयोग (State finance Commission)

(अनुच्छेद 243Y) - नगरपालिका

पंचायत → Art. 243 I > बाकी सब Same

नगरपालिकाओं के निर्वाचन
[Election of the Municipalities]

(अनु. 243 ZA) - नगरपालिका
↳ राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत → 243K > बाकी सब

Same